श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु अंतर-राज्यीय समितियाँ

स्रोत: द हिंदू

केंद्र और राज्य सरकारों के **श्रम मंत्रियों और सचिवों ने** **श्रम सुधारों** **और श्रमिक कल्याण** पर प्रमुख चर्चा की।

- इसमें **नई** **श्रम संहिताओं** के कार्यान्वयन एवं **सामाजिक सुरक्षा कवरेज** के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- **पाँच-पाँच राज्यों** की **तीन समितियों द्वारा श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा हेतु एक स्थायी मॉडल** विकसित किया जाएगा, जिनकी रिपोर्ट **मार्च 2025** तक आना प्रस्तावित है।
- एक प्रमुख श्रम सुधार में अनुपालन बोझ को कम करने और व्यापार करने में सुगमता को बढ़ाने के लिये **श्रम निरीक्षक मॉडल** से **निरीक्षक-सह-सुविधाकर्त्ता मॉडल** को **स्थानांतरित** करने का प्रस्ताव किया गया।
- इसने **निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा** और **पेंशन योजनाओं** के लिये **उपकर** **निधियों** का उपयोग करने के लिये **सतत् मॉडल** की आवश्यकता पर बल दिया।
    - **निर्माण श्रमिकों** के कल्याण को प्राथमिकता दी गई, तथा **70,744.16 करोड़ रुपए** की **अप्रयुक्त उपकर निधि** पर चिंता व्यक्त की गई।
- सरकार **गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों** के लिये एक **समर्पित सामाजिक सुरक्षा योजना** पर भी काम कर रही है, जिसमें **वित्त पोषण, डेटा संग्रह** और **ई-श्रम पोर्टल** पर **पंजीकरण** पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

और पढ़ें: भारत में श्रम सुधार

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/inter-state-committees-for-workers-social-security